अनुदान संख्या 43 - अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 43 - INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित	*Charged -*		*50,00*	*45,19*	*-4,81*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	2742,80,00	3028,16,00	2978,97,73	-49,18,27
पूरक	Supplementary	285,36,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted -		264,20,00	123,08,87	-141,11,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				139,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में *₹20.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹4918.27 लाख) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹28536.00 लाख के पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹20.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹4918.27 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grant of ₹28536.00 lakhs obtained in March, 2011 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	85136.00			
पू.	S.	6857.00	91808.67	90438.96	-1369.71
पु.	R.	-184.33			
मुख्य शीर्ष "2038"	Major Head "2038"				
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties				
मू.	O.	188544.00			
पू.	S.	21679.00	210541.88	207230.32	-3311.56
पु.	R.	318.88			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	600.00			
			465.45	228.45	-237.00
पु.	R.	-134.55			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" -

(क) "राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य बंदरगाह" - ₹27080.40 लाख के मूल प्रावधान को ₹2857.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹29937.40 लाख कर दिया गया, तथापि, जो एक प्रतिशत वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने संबंधी कम प्रस्तावों का निपटान किए जाने, किराया संशोधन के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कम्प्यूटरों की खरीद न किए जाने के कारण ₹1796.36 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2037" –

(a) "Revenue-Cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs – Major Ports"– the original provision of ₹27080.40 lakhs was augmented to ₹29937.40 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2857.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1796.36 lakhs - due to clearance of less proposals for enhancing organisational efficiency under 1% incremental revenue earning scheme, non-finalisation of proposals for rent revision and non-purchase of computers.

(ख) "निवारक और अन्य कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य बंदरगाह" - ₹47957.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹3958.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹51915.60 लाख कर दिया गया, तथापि, जो पुरस्कार के कम मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, एक प्रतिशत वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने संबंधी कम प्रस्तावों का निपटान किए जाने, लैपटाप कम्प्यूटरों की खरीद न किए जाने और समुद्री नावों के प्रचालन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹1236.46 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Preventive and Other Functions - Sea Customs-Major Ports" – the original provision of ₹47957.60 lakhs was augmented to ₹51915.60 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3958.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1236.46 lakhs - due to finalisation of less reward cases, clearance of less proposals for enhancing organizational efficiency under 1% incremental revenue earning scheme, non-purchase of laptop computers and requirement of less funds towards running of marine boats.

(खा) मुख्य शीर्ष "2038" - "संग्रहण प्रभार - आयुक्तालय"- ₹159338.55 लाख के मूल प्रावधान को ₹20681.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹180019.55 लाख कर दिया गया, तथापि, जो एक प्रतिशत वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने संबंधी कुछ प्रस्तावों का निपटान न किए जाने, लैपटाप कम्प्यूटरों की खरीद न किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कम दावे प्राप्त होने और किराया संशोधन संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹3124.27 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2038" – "Collection Charges – Commissionerates" - the original provision of ₹159338.55 lakhs was augmented to ₹180019.55 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹20681.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹ 3124.27 lakhs - due to non- clearance of some proposals for enhancing organisational efficiency under 1% incremental revenue earning scheme, non-purchase of laptop computers, non-filling up of vacant posts, receipt of less claims of medical reimbursement and non-finalisation of proposals for rent revision.

(II) मुख्य शीर्ष "2037" - "राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला" - ₹182.49 लाख की बचत (₹709.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2037" - "Revenue-Cum-Import/Export Trade Control Functions - Central Revenues Control Laboratory" - saving of ₹182.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹709.55 lakhs) was due to delay in finalisation of process for purchase of equipments.

(III) मुख्य शीर्ष "2038" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2038"- savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(A) "Direction and Administration" -

(क) "केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय"- ₹162.94 लाख की बचत (₹2756.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और पुरस्कार के कम मामलों का निपटान किए जाने के कारण हुई।

(a) "Directorate General of Central Excise Intelligence" – saving of ₹162.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2756.20 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and clearance of less reward cases.

(ख) "प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन" - ₹682.86 लाख की बचत (₹13180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में विभिन्न उप परियोजनाओं, कम्प्यूटरीकरण की समेकन परियोजना के अंतिम चरणों को पूरा किए जाने में विलम्ब होने, प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब होने की वजह से परियोजना संबंधी कुछ बिलों का समाशोधन न किए जाने और रिक्त पदों के न भरे जाने के करण हुई।

(b) "System and Data Management" - saving of ₹682.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13180.00 lakhs) was due to delay in completion of final phases in respect of various sub projects, Consolidation Project of Computerisation in Central Board of Excise and Customs, non-clearance of some bills relating to project owing to delay in completion of procedural formalities and non-filling up of vacant posts.

(खा) "संग्रहण प्रभार - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के भुगतान और लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)" - ₹215.85 लाख की बचत (₹3347.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई में ई भुगतान एवं लेखा कार्यालय (सेवा कर) और भुगतान एवं लेखा कार्यालय (राजस्व) के लिए कार्यालय आवास किराए पर लिए जाने को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(B) "Collection Charges - Pay and Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC" - saving of ₹215.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3347.00 lakhs) was due to non-finalisation of hiring of office accommodation for e Pay & Accounts Office (Service Tax) and Pay & Accounts Office (Revenue) at Mahanagar Telephone Nigam Limited, Mumbai and non- filling up of vacant posts.

(IV) मुख्य शीर्ष "2216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत" के अंतर्गत ₹371.55 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभागीय रिहायशी भवनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ कार्य का निष्पादन किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Maintenance and Repair"- saving of ₹371.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards maintenance and repair of departmental residential buildings and delay in execution of some work by the Central Public Works Department.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹137.66 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और 19 प्रतिशत थी।

(V) Under two heads savings of ₹137.66 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 17 percent and 19 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक और अन्य कार्य"-

(I) Major Head "2037"- "Preventive and Other Functions" -

(का) "संभार तंत्र निदेशालय" - ₹1313.23 लाख का अधिक व्यय (₹42.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1436.70 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय परिसर के नवीकरण

(A) "Directorate of Logistics"- excess of ₹1313.23 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1436.70 lakhs including supplementary grant of ₹42.00 lakhs) was due to

के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और लैपटाप कम्प्यूटरों की केंद्रीकृत खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "राजस्व आसूचना निदेशालय" - ₹376.94 लाख का अधिक व्यय (₹4675.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, नए कर सहायकों की नियुक्ति किए जाने, पुरस्कार के ज्यादा मामलों को मंजूरी दिए जाने, कार्यालय उपस्करों की खरीद किए जाने और अधिक न्यायालय मामलों के होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2038" -

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(क) "निरीक्षण" - ₹235.62 लाख का अधिक व्यय (₹2796.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, नए कर सहायकों की नियुक्ति किए जाने, अधिक दौरे कार्यक्रम किए जाने, पिछले वर्ष के बिलों का समाशोधन किए जाने, कार्यालय का नवीकरण और फर्नीचर और कार्यालय उपस्करों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी" - ₹841.42 लाख का अधिक व्यय (₹998.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3155.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परीवीक्षाधीन कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई में सम्मेलन कक्ष और छात्रावास का नवीकरण और लैपटाप/डेस्कटाप कम्प्यूटरों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "अन्य व्यय - भूमि सीमा शुल्क संग्रहण" - ₹159.64 लाख का अधिक व्यय (₹1384.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

requirement of additional funds towards renovation of office premises and centralised purchase of laptop computers.

(B) "Directorate of Revenue Intelligence" – excess of ₹376.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4675.70 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of additional instalment of dearness allowance, appointment of new Tax Assistants, sanction of more reward cases, purchase of office equipments and more court cases.

(II) Major Head "2038" -

(A) "Direction and Administration"-

(a) "Inspection" – excess of ₹235.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2796.85 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of additional installments of dearness allowance, appointment of new Tax Assistants, more tour programme undertaken, clearance of previous year bills, renovation of office and purchase of furniture and office equipments.

(b) "National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN)"- excess of ₹841.42 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3155.10 lakhs including supplementary grant of ₹998.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased number of probationers, renovation of conference room and hostel at Regional Training Institute at Mumbai and purchase of laptop/desktop computers.

(B) "Other Expenditure - Collection of Land Customs" – excess of ₹159.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1384.85 lakhs) was due to payment of additional installment of dearness allowance.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services					
मू.	O.	12120.00				
				3321.00	3319.55	-1.45
पु.	R.	-8799.00				
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	13200.00				
				8989.00	8892.00	-97.00
पु.	R.	-4211.00				
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major head "4216" Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	1100.00				
				160.00	97.32	-62.68
पु.	R.	-940.00				

(I) ₹20.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य" के अंतर्गत ₹8780.45 लाख की बचत (₹12100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों के वार्षिक रख-रखाव संविदा में कुछ अस्पष्टता की वजह से नाव बनाने वालों के साथ पोतों के रख-रखाव की संविदा के मूर्त रूप न लेने और बंदरगाह न्यास प्राधिकरणों के साथ भूमि के पट्टा विलेख को अंतिम रूप न दिए जाने और मोबाइल/फिक्सड स्कैनरों के अधिष्ठापन के लिए संविदा दिए जाने के आदेश न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under major Head "4047" - "Customs – Preventive and other Functions"- saving of ₹8780.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12100.00 lakhs) was due to non-materialisation of contracts for maintenance of vessels with Boat Builders owing to some ambiguities in the Annual Maintenance Contract and non-finalisation of lease deed of land with Port Trust Authorities and non-placing of orders for awarding of contracts for installation of mobile/fixed scanners.

(III) मुख्य शीर्ष “4059” - “कार्यालय भवन - अन्य व्यय- तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण” के अंतर्गत ₹4308.00 लाख की बचत (₹13200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टाम्प शुल्क की दर के संबंध में विवाद के न सुलझाए जाने की वजह से स्टाम्प शुल्क की अदायगी न किए जाने और कोलकाता, चेन्नई और एनबीसीसी प्लाजा, नई दिल्ली में भवन की खरीद संबंधी प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने और स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण और फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major head “4059” - “Office Buildings – Other Expenditure - Acquisition of Ready built Accommodation”- saving of ₹4308.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13200.00 lakhs) was due to non-payment of stamp duty owing to non-settlement of dispute regarding rate of stamp duty and non-materialisaion of proposals regarding purchase of building at Kolkata, Chennai and at NBCC Plaza in New Delhi and non-payment of stamp duty/registration and conversion to free hold.

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी रिहायशी भवन - सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण” के अंतर्गत ₹1002.68 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी आवास की खरीद संबंधी प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “4216” – “Government Residential Buildings – Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees – Acquisition of Ready built Flats” – saving of ₹1002.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for purchase of residential accommodation.